भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4062

25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: तमिलनाडु में ई-नाम का कार्यान्वयन

4062. श्री थरानिवेंथन एम.एस.:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) योजना की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) तमिलनाडु में ई-नाम मंच के अंतर्गत पंजीकृत किसानों और व्यापारियों की कुल संख्या कितनी है और मूलभूत स्तर पर पंजीकरण प्रक्रिया को कैसे सुगम बनाया जा रहा है;

(ग) तमिलनाडु में डिजिटल मंच, वेब्रिज और गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं की स्थापना जैसी अवसंरचना के विकास के लिए ई-नाम योजना के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता क्या है;

(घ) तमिलनाडु में विशेषकर ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों के किसानों द्वारा अपनी उपज बेचने और उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए ई-नाम सेवाओं का उपयोग किया जा सकना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) तमिलनाडु में विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि बाजारों में बाजार संपर्क, मूल्य पता करने और पारदर्शिता में सुधार पर ई-नाम योजना का क्या प्रभाव है; और

(च) तमिलनाडु में विशेषकर निकट भविष्य में अधिक वस्तुओं, किसानों और बाजारों को शामिल करने के लिए ई-नाम मंच की पहुंच का विस्तार करने की क्या योजना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) ई-ट्रेडिंग सुविधा है जो कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार को सक्षम करने के लिए मौजूदा वास्तविक एपीएमसी को एक वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से जोड़ती है। यह किसानों को उनकी उपज हेतु लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक पारदर्शी मूल्य खोज पद्धति प्रदान करता है। ई-नाम किसानों और व्यापारियों को सूचना और सेवाएं भी प्रदान करता है, जिसमें वस्तुओं की आवक, गुणवत्ता और मूल्य, खरीद और बिक्री के प्रस्ताव, व्यापार प्रस्तावों पर उत्तर देने का प्रावधान और किसानों के खाते में सीधे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निपटान आदि शामिल हैं।

(ख): दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक, तमिलनाडु के 4,60,909 किसान और 11,999 व्यापारी ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। ई-नाम एप्लिकेशन किसानों और व्यापारियों को स्व-पंजीकरण के लिए सशक्त बनाता है। ई-नाम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सुलभ है क्योंकि ई-नाम पोर्टल और ई-नाम मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) के माध्यम से स्व-पंजीकरण की सुविधा है। टोल-फ्री नंबर 18002700224 पंजीकरण की प्रक्रिया में हितधारकों की सहायता करता है। हितधारक पंजीकरण आदि के लिए निकटतम ई-नाम मंडी भी जा सकते हैं।

(ग): दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और ई-नाम के साथ एकीकरण के लिए ई-नाम योजना के तहत तमिलनाडु सरकार को 91.65 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(घ): यह सुनिश्चित करने के लिए कि तमिलनाडु के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में किसान ई-नाम सेवाओं तक प्रभावी रूप से पहुंच सकें और अपनी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त कर सकें, ऑनलाइन बाजार तक पहुंच के लिए ई-नाम मोबाइल ऐप प्रदान किया गया है। ई-नाम के अंतर्गत फार्मगेट मॉड्यूल है जो किसानों को चित्र/गुणवत्ता मापदंडों के साथ अपनी उपज का लॉट-वार विवरण अपलोड करने में सक्षम बनाता है और उन्हें मंडियों में अपनी उपज को वास्तविक रूप से लाए बिना, ई-नाम पर व्यापार के लिए बोली लगाने की सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) ट्रेडिंग मॉड्यूल एफपीओ को सदस्य किसानों के लिए उनके संग्रह केंद्र/परिसर से उनकी उपज का व्यापार करने में सहायता करता है। किसानों को ई-नाम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित करने के लिए एपीएमसी स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब तक तमिलनाडु भर में 1,53,530 किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ट्यूटोरियल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं।

(ङ.): 28 फरवरी, 2025 तक तमिलनाडु राज्य में ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 27.43 लाख मीट्रिक टन कृषि उपज व्यापार की मात्रा और 2.6 करोड़ संख्या (नारियल आदि) का सामूहिक व्यापार मूल्य 7232 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है।

(च): राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, मंडियों को मंजूरी दी गई है और ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। अब तक, तमिलनाडु से 213 मंडी प्रस्ताव प्राप्त हुए और उन्हें ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है।

*****